रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2011/फाल्गुन 13, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 294
No. 42] DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2011/PHALGUNA 13, 1932 [N.C.T.D. No. 294

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 मार्च, 2011

सं. फा. 01(48)/05/डीआईएसएमएच/आयु./पार्ट फाइल/141-49.—दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 4) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा, तत्काल, "भारतीय चिकित्सा हेतु परा-चिकित्सा प्रशिक्षण परीक्षा निकाय" नामक परीक्षा निकाय का, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (एम) के अधीन यथापरिभाषित परा-चिकित्सीय प्रशिक्षण हेतु अर्हक परीक्षाओं के आयोजन के उद्देश्य से तथा उक्त परीक्षा के लिए अध्ययन एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निर्धारण हेतु तथा फार्मेसिस्ट, नर्सिंग पाठ्यक्रम, पंचकर्म तकनीशियन आदि में परा-चिकित्सीय प्रशिक्षण संबंधी अन्य विषयों के लिए गठन करते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति उक्त अधिनियम के अंतर्गत समस्त कार्यों के लिए भारतीय चिकित्सा के लिए परा-चिकित्सा प्रशिक्षण परीक्षा निकाय, दिल्ली के सदस्य होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	नाम व पता	मनोनयन की धारा
(1)	(2)	(3)
1	श्री जयदेव साडंगी, विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली-02	धारा 33(3)(क)
2.	नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली-88	धारा 33(3)(ख)
3.	डॉ. युवराज कुमार त्यागी, सदस्य, सीसीआईएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली-58	धारा 33(3)(ग)
4.	डॉ. कमल किशोर सिजोरिया, विभागाध्यक्ष (आयुर्वेद), आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली सरकार, करोल बाग, नई दिल्ली-05	धारा 33(3)(घ)
5.	डा. रजनी सुषमा, रीडर (आयुर्वेद), आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली सरकार, करोल बाग, नई दिल्ली-05	धारा 33(3)(घ)
6.	डा. अहमद यासीन, प्राचार्य, आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली सरकार, करोल बाग, नई दिल्ली-05	धारा 33(3)(ङ)
7.	डा. मुकेश पाल राणा, आयुर्वेद चिकित्सक, सी-5/158-ए, प्रथम तल, केशव पुरम, दिल्ली-35	धारा 33(3)(च)

(1)	(2)	(3)
8.	डा. प्रदीप कुमार अग्रवाल, आयुर्वेद चिकित्सक, ए-11, केवल पार्क, आजादपुर, दिल्ली-110033	धारा 33(3)(च)
9.	डा. राहत अली खान, यूनानी चिकित्सक, 852, चांदनी महल, दरिया गंज, नई दिल्ली-02	धारा 33(3)(छ)
10.	उप-निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति), भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय, दिल्ली सरकार, आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज परिसर, करोल बाग, नई दिल्ली-05	धारा 33(3)(ज)
11.	सहायक निदेशक (यूनानी), भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय, दिल्ली सरकार, आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज परिसर, करोल बाग, नई दिल्ली-05	धारा 33(3)(ज)

एतद्द्वारा उक्त क्रम संख्या 6 पर मनोनीत प्राचार्य, आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली को दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 की धारा 33 (4) के अधीन परीक्षा निकाय का अध्यक्ष मनोनीत करते हैं । परीक्षा निकाय के उक्त सदस्य अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जिस पद के कारण वे इस पद पर हैं, उस पर पदासीन रहने की अवधि, इनमें जो भी पहले हो, कार्य करते रहेंगे ।

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th March, 2011

No. F. 1(48)/05/DISMH/Ay/Pt. file I/141-49.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby constitutes, with immediate effect, an Examining Body to be known as the "Examining Body for para-medical training for Bharatiya Chikitsa, Delhi" for the purpose of holding qualifying examination for para-medical training as defined under clause (m) of Section 2 of the said Act and for prescribing the courses of study and training for the said examination and other matters related to para-medical training such as Pharmacists, Nursing Courses, Panchkarma Technicians etc. The following persons shall be the Members of the Examining Body for para-medical training for Bharatiya Chikitsa, Delhi, to do all acts under the said Act, namely :—

Sl. No.	Name and Adddress	Provision under which nominated
(1)	(2)	(3)
1.	Sh. Jayadev Sarangi, Special Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Delhi, New Delhi-02	Section 33(3)(a)
2.	Controller, Board of Technical Education, Government of Delhi, New Delhi-88	Section 33(3)(b)
3.	Dr. Yuvraj Kumar Tyagi, Member, CCIM, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, New Delhi-58	Section 33(3)(c)
4.	Dr. Kamal Kishore Sijoria, HOD (Ayurveda), A and U Tibbia College, GNCTD, Karol Bagh, New Delhi -05	Section 33(3)(d)
5.	Dr. Rajni Sushma, Reader (Ayurveda), A and U Tibbia College, GNCTD, Karol Bagh, New Delhi-05	Section 33(3)(d)
6.	Dr. Ahmad Yasin Principal, A and U Tibbia College, GNCTD, Karol Bagh, New Delhi-05	Section 33(3)(e)
7.	Dr. Mukesh Pal Rana, Ayurvedic Practitioner, C-5/158-A, 1st Floor, Keshav Puram, Delhi-110035	Section 33(3)(f)
8.	Dr. Pradeep Kumar Aggarwal, Ayurvedic Practitioner, A-11, Kewal Park, Azadpur, Delhi-33	Section 33(3)(f)
9.	Dr. Rahat Ali Khan, Unani Practitioner, 852, Chandni Mahal, Darya Ganj, New Delhi-110002	Section 33(3)(g)
10.	Deputy Director (ISM), Directorate of ISM&H, GNCTD A and U Tibbia College Campus, Karol Bagh, New Delhi-110005	Section 33(3)(h)
11.	Assistant Director (Unani), Directorate of ISM&H, GNCTD A and U Tibbia College Campus, Karol Bagh, New Delhi-110005	Section 33(3)(h)

Principal, A & U Tibbia College, New Delhi nominated at Sl.No. 6 above is hereby nominated as Chairman of the Examining Body under Section 33(4) of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Act, 1998.

The above members of the Examining Body shall hold office as such for a period of five years from the date of notification or till they hold their office by virtue of which they have been nominated, whichever is earlier.

फा. सं. 24/विविध/एन.एच./94/पार्ट फाईल-2/153-60.—दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 (1953 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण नियमावली, 1953 में आगे संशोधन के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जा सकता है ।

(2) ये तत्काल प्रभावी होंगे :

शर्त यह कि जिस तिथि से ये नियम प्रवृत्त होते हैं, उस तिथि को पहले ही पंजीकृत नर्सिंग होम उक्त तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर इन नियमों का पालन करेंगे ।

2. **नियम 6 का संशोधन.**—दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण नियमावली, 1953 (इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 6 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी से पहले फार्म 'ख' में अग्रिम रूप से किया जाएगा और इसके साथ नियम 7 में निर्धारित शुल्क लगा होगा" ।

3. **नियम 7 के स्थान पर नए नियम का प्रतिस्थापन.**—मूल नियमावली के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. **पंजीकरण एवं पंजीकरण के नवीनीकरण का शुल्क.**—(1) पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए भुगतान किए जाने वाला शुल्क निम्न प्रकार से वसूल किया जाएगा :

बिस्तरों की संख्या	**पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क**
दस बिस्तरों तक	दो हजार रुपये
ग्यारह से तीस बिस्तरों तक	पांच हजार रुपये
इक्कतीस से आगे बिस्तरों	पांच हजार रुपये तथा एक सौ रुपये के लिए प्रति बिस्तर, प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिए

(2) जहां नियम 6 के अनुसार नवीनीकरण का शुल्क यथासमय जमा नहीं कराया जाता है, वहां नवीनीकरण शुल्क की दस प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि या इसका भाग प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के रूप में जमा करानी होगी ।

(3) नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित अन्तिम तिथि से छः माह के भीतर पंजीकरण के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप नवीनीकरण का आवेदन पत्र अस्वीकार हो जाएगा तथा सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् रजिस्टर से नाम हटा दिया जाएगा ।"

4. **नियम 11 के स्थान पर नए नियम का प्रतिस्थापन.**—मूल नियमावली के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करना.**—यदि पंजीकरण प्रमाण-पत्र खो जाता है, विकृत या नष्ट हो जाता है तो वह नए प्रमाण-पत्र के लिए पर्यवेक्षक प्राधिकारी को डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकता है और पर्यवेक्षक प्राधिकारी यदि उचित समझते हैं तो पांच सौ रुपये के शुल्क के भुगतान करने पर डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं । इस नियम के अंतर्गत जारी प्रमाण-पत्र पर 'डुप्लीकेट' उल्लिखित होगा ।"

5. **नियम 12 का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 12 में उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) नर्सिंग होम का प्रभारी निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा—

(क) समय-समय पर पर्यवेक्षक प्राधिकारी द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार इन नियमों के साथ संलग्न फार्म 'डी' में नर्सिंग होम में दाखिल रोगियों का रजिस्टर व उसे प्रस्तुत करना;

(ख) फार्म 'डी' में प्रवेश रजिस्टर के अनुसार नर्सिंग होम में दाखिल रोगियों के नाम, सही वर्णक्रम के अनुसार;

(ग) किसी अन्य जानकारी के अतिरिक्त निम्नलिखित जानकारी नर्सिंग होम में दाखिल प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य का अभिलेख, जो पर्यवेक्षक प्राधिकारी को समय-समय पर पर्यवेक्षक प्राधिकारी द्वारा बनाए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार चाहिए एवं प्रस्तुत किया जाना चाहिए :—

1. प्रवेश संख्या
2. नाम.................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...................
3. आयु
4. लिंग
5. व्यवसाय
6. धर्म
7. केस का प्रभारी डाक्टर
8. प्रवेश का समय व तिथि
9. छुट्टी देने की तिथि
10. प्रवेश के समय निदान
11. अन्तिम निदान